सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
हरियाणा विधानसभा,
चंडीगढ़।

विषय हरियाणा विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 73 के तहत नोटिस।

अध्यक्ष महोदय,

मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, इस सरकार ने और पिछले सरकारों ने भी विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गरीब एवं अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए 100– 100 गज के प्लाट आवंटित कर गांवों व शहरों में कॉलोनियां काटी थी। लेकिन इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। ये आवास मुख्यतः पंचायत की जमीन पर काटे गए थे वो लगभग सभी जगह गांव से काफी दूर है जिस कारण उनको जरूरी सुविधाओं को लाभ लेने के लिए दूर तक जाना पड़ता है अतः इन कॉलोनियों में सरकार द्वारा सभी मूलभूत सुविधाऐं उलपब्ध करवानी चाहिए। इस गम्भीर मुद्दे पर सदन में चर्चा होना बहुत जरूरी है क्योंकि हरियाणा के लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त है।

अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

धन्यवाद।

दिनांकः 05-11-2024

भवदीय

(आदित्य देवीलाल)
विधायक डबवाली